UPSI180030322022

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबाद-सीतापुर।

फौजदारी वाद संख्या-2515/2022

सरकार बनाम अश्वनी पाण्डेय आदि।

अपराध सं०-58/2021
धारा-323,325,504 भा०दं०सं०
थाना-रामपुर मथुरा, जिला-सीतापुर।

आरोप

मैं, रोहित पुरी सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबाद सीतापुर आप अभियुक्तगण **अश्वनी पाण्डेय एवं भोला पाण्डेय** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ-

1. यह कि दिनांक-03.02.2021 को समय करीब 08.00 बजे सायं, स्थान बहद ग्राम पांडेपुरवा, थाना-रामपुर मथुरा, जिला-सीतापुर के सीमान्तर्गत आप अभियुक्तगण ने वादिनी मुकदमा श्रीमती सरोज पाण्डे को लात-घूसों व डंडों से मार पीटकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य कारित किया जो **धारा-323 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने उपर्युक्त मजरूब को मार पीटकर उसके 3rd Metacarpal bone में फ्रैक्चर उपहति कारित की। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य कारित किया जो **धारा-325 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने उपर्युक्त मजरूब को गन्दी-गन्दी गालियां देकर साशय अपमानित किया। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य कारित किया जो **धारा-504 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोप के सम्बन्ध में आप अभियुक्तगण का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाय।

दिनांकः-17.02.2026

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद, सीतापुर।
J.O. Code-UP3474

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप को अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग की।

दिनांकः-17.02.2026

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद, सीतापुर।
J.O. Code-UP3474

विजय मौर्य
(स्टेनो)

Digitally signed by ROHIT PURI
Date: 2026.02.17 17:25:54 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge(J.D)/J.M.
Mahmoodabad, Sitapur.